

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।
पत्रांक 1594/14-4-4 बाराबंकी, दिनांक 28/10/2015

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण खण्ड-3 बाराबंकी।

विषय:- जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी में जिलाधिकारी आवास से बंराल पेट्रोल पम्प तक पुराना एन० एच०-28 (बाराबंकी शहरी भाग) मार्ग पर किमी० 26-29.70 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु 1.48 हे० संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण तथा उस पर अवस्थित 104 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अखीरगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8वीं/यू०पी०/०6/30/2015/एफ०सी०/912 दिनांक 16-10-2015 तथा इस कार्यालय का पत्रांक- 1511/14-4-4 दिनांक 19-10-2015 एवं पत्रांक- 1515/14-4-4 दिनांक 20-10-2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अखीरगंज लखनऊ का पत्रांक- 8वीं/यू०पी०/०6/30/2015/एफ०सी०/912 दिनांक 16-10-2015 के द्वारा उक्त निर्माणधीन मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 1.48 हे० संरक्षित वन भूमि के सौदानीय स्वीकृत निम्न लिखित शर्तों पर प्रदान की गयी है, जो नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक वन उपयोग वृत्त उ० प्र० लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य के साथ आप को प्रेषित है, के क्रम में 1.48 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु जनपद बाराबंकी में लखनऊ-मैजबाद मार्ग जिलाधिकारी आवास से बंराल पेट्रोल पम्प तक (बाराबंकी शहरी भाग) के किमी० 26.00-29.70 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण के निर्माण कार्य हेतु 1.48 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु 104 वृक्षों के पातन की सौदानीय स्वीकृति, प्रभावित वन भूमि 1.48 हे० के दोगुने 2.96 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं मा० उच्चतम न्यायालय के रिट विटिशन (सिविल) 2002/1995 के आदेशानुसार भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी० की धनराशि) का अगल-अलग (E Pement) के माध्यम से दिनांक 14-10-2015 के बाद से लागू नई प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सम्बन्धित वेबसाइट www.forestsclearance.nic.in में चालान के माध्यम से सम्बन्धित खारो प्रतिपूर्ति वीक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation, Fund (CAF) Uttar Pradesh S B A/C No. 25230) में चालान द्वारा जमा करले हुए ई-पेमेंट के चालान की रिलिफ के साथ सभी विन्दुओं पर अपनी सुरक्षित अनुपालन आख्या पांच प्रतियों सहित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित किया जाय।

उक्त के अभाव में विधिवत स्वीकृत की अनुमति प्राप्त होना सम्भव नहीं होगा जिससे उक्त सूचना मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ० प्र०, लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ को भेजी जा सके।

- 1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि 1.48 हे० के दोगुने अनवत वन भूमि अर्थात् 2.96 हे० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रु०- 986700/- (नौ लाख छियासी हजार सात सौ रूपया मात्र) जमा करले हुए ई-पेमेंट के चालान की प्रति सहित उपलब्ध कराया जाय।
- 2- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट विटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आर्ड० ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि (1-48 x 803000) रु० 1188440/- (रु० ग्यारह लाख अठ्ठासी हजार चार सौ बालिसा मात्र) जमा करले हुए ई-पेमेंट के चालान की प्रति सहित उपलब्ध कराया जाय।
- 3- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन० पी०वी० की दर में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
- 4- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना अधोहस्ताक्षरी से स्वीकृत कराकर प्रस्तुत किया जाय, जिससे उक्त परियोजना को उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।
- 5- भारत सरकार के निर्देशानुसार इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देशों के अनुरूप सड़क के दोनों ओर 250 आयरन गार्ड द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कर वीक्षारोपण किया जायेगा। जिस हेतु रु० 971000/-

..2...

की आवश्यकता होगी, यह धनराशि रु० 971000/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित खारो में जमा किया जायेगा।

- 6- विधिवत स्वीकृत जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यस पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी विधियां प्रतिपूर्ति वीक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निम्नलिखित के लेखा संख्या- एस०बी०-25230 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम नई दिल्ली) लोथी काम्पलेक्स (Compensatory Afforestation, Fund (CAF) Uttar Pradesh S B A/C No. 25230 Corporation Bank New Delhi -110003) में जमा की जायेगी जिसके उपरान्त ही पावली (स्वीड) की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का आर०डी०जी०एस०/ई-पेमेंट/एन०एफ०डी० (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सौदानीय स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् (एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशियों का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृत पर विचार किया जायेगा। उक्त समस्त धनराशि जमा होने के पश्चात् ही कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुरक्षित परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत विधिवत स्वीकृत जारी करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राफा सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत स्वीकृत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।

(जावेद अख्तर) 28/10/15
प्रभागीय निदेशक
सा० वा० वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या 1594 / उक्तदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ० प्र०, फैजाबाद को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित।
- 3- प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृत एवं उ० प्र० सरकार का शासनादेश जारी नहीं हो जाता अथवा इस कार्यालय से कोई अग्रिम आदेश नहीं दिया जाता है तब तक कोई ऐसा कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो तथा कार्य के दौरान सभी विन्दुओं का अनुपालन याचक विभाग से सुनिश्चित कराया जाय।

(जावेद अख्तर) 28/10/15
प्रभागीय निदेशक
सा० वा० वन प्रभाग, बाराबंकी

अभियन्ता
निर्माण विभाग
बाराबंकी